उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की कार्य-सूची

गुरुवार, 23 माघ, शक संवत् 1947

(12 फरवरी, 2026)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1-प्रश्न (देखिये नत्थी 'क')।

2-पर्यटन मंत्री, जनपद-मिर्जापुर नगर स्थित 100 वर्षीय श्री चित्रगुप्त मन्दिर एवं चित्रगुप्त घाट को गंगा के कटाव से सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में श्री आशुतोष सिन्हा व श्री लाल बिहारी यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

3-पशुधन मंत्री, जनपद-इटावा में पशुपालन विभाग के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को समय से वेतन दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहम्मद जासमीर अंसारी व श्री मुकुल यादव, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 11 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

4-पर्यटन मंत्री, जनपद-झांसी के विधान सभा क्षेत्र बबीना में स्थित अंजनी माता के मन्दिर व विधान सभा क्षेत्र गरौठा के अन्तर्गत प्राचीन राम जानकी मन्दिर सगौली तथा मऊरानीपुर स्थित श्री मढ़ा सरकार प्राचीन मन्दिर में पर्यटन विभाग द्वारा विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 बाबू लाल तिवारी व श्री सुरेन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा

दिनांक 12 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

5-उप मुख्य मंत्री, जनपद-मुरादाबाद में एक राजकीय मेडिकल कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 जयपाल सिंह 'व्यस्त' व डा0 हरी सिंह ढिल्लो, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 12 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

6-उप मुख्य मंत्री, जनपद-देवरिया के रुद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में पुरानी खराब एक्स-रे मशीन को बदलवा कर नई डिजिटल एक्स-रे मशीन लगवाने तथा साथ ही अल्ट्रासाउण्ड मशीन भी लगवाने के सम्बन्ध में डा0 रतन पाल सिंह व श्री अविनाश सिंह चौहान, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

7-उप मुख्य मंत्री, प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (सी0एच0सी0) में 02 वर्षीय अनिवार्य सेवा बॉण्ड से तैनात एम0बी0बी0एस0 चिकित्सकों को समान बेसिक-पे एवं भत्ते दिये जाने के सम्बन्ध में श्री हंसराज विश्वकर्मा व श्री सुरेन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

8-उप मुख्य मंत्री, जनपद-महराजगंज में स्वास्थ्य विभाग के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा पूरे जनपद में सरकारी धन के लूट-खसोट एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी व श्री अक्षय प्रताप सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

9-पर्यटन मंत्री, जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड-महमूदाबाद के सुप्रसिद्ध माँ संकटा देवी धाम के सरोवर के चारों ओर पक्का घाट बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री पवन कुमार सिंह व श्री अंगद कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

10-पर्यटन मंत्री, प्रदेश में चल रहे होटल रेस्तरां के सुरक्षा मानकों की जांच कराकर दुरुस्तीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश कुमार गोयल व श्री विजय बहादुर पाठक, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

11-उप मुख्य मंत्री, प्रदेश में बन्द अस्पतालों को पुनः अवैधानिक तरीके से चलाये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश कुमार गोयल व श्री विजय बहादुर पाठक, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2025 को नियम-110 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे।

12-पर्यटन मंत्री, जनपद-ललितपुर के महरौनी विधान सभा क्षेत्र के तहसील-पाली के अन्तर्गत नीलकण्ठेश्वर धाम के आस-पास पर्यटन विकास कार्य तथा महरौनी विधान सभा क्षेत्र के ही ब्लाक-मड़ावरा के ग्राम-डोगरा कला के अन्तर्गत स्थित डोगरासन माता मन्दिर के आस-पास पर्यटन विकास कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 बाबू लाल तिवारी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

13-पर्यटन मंत्री, जनपद-सीतापुर, ब्लाक-खैराबाद के ग्राम पंचायत-रामकोट में प्राचीन गंगा सागर तीर्थ रामेश्वर धाम के जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में श्री मोहम्मद जासमीर अंसारी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

14-उप मुख्य मंत्री, प्रान्तीय चिकित्सा सेवा संघ के पुनर्योजित चिकित्सकों की आयु सीमा 65 से 70 वर्ष करने के सम्बन्ध में श्री विजय बहादुर पाठक, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 22 दिसम्बर, 2025 को नियम-111 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वक्तव्य देंगे।

15-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-गेरावां, टिकराहुआ व भिलवल, विकास खण्ड-हैदरगढ़, जनपद-बाराबंकी के निवासियों की ओर से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी ‘ख’)

16-श्री अनूप कुमार गुप्ता, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-कोलवा, विकास खण्ड-हैदरगढ़, जनपद-बाराबंकी के निवासियों की ओर से मिनी स्टेडियम का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ग')

17-श्रीमती रमा निरंजन, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-महेशपुरा, विकास खण्ड-जालौन, जनपद-जालौन के निवासियों की ओर से शमशान घाट का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगी।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'घ')

18-श्रीमती रमा निरंजन, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत-सिकरी राजा, विकास खण्ड-जालौन, जनपद-जालौन के निवासियों की ओर से सड़क का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगी।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'ङ')

19-इंजी0 अवनीश कुमार सिंह, सदस्य, विधान परिषद्, सदन की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-215 के अन्तर्गत नगर पंचायत-सुबेहा, जनपद-बाराबंकी के निवासियों की ओर से सड़क व नाली का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में दी गई याचिका प्रस्तुत करेंगे।

(याचिका के लिए देखिये नत्थी 'च')

20-श्री सत्यपाल सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा प्रस्तुत तथा श्री उमेश द्विवेदी, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा समर्थित निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार जारी (तृतीय दिवस) :-

''यह सदन मा0 राज्यपाल के अभिभाषण के लिये जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 09 फरवरी, 2026 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।''

(प्रस्ताव में संशोधनों के लिए देखिये नत्थी 'छ')

21-श्री विजय बहादुर पाठक, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 08 फरवरी, 2024 की बैठक में प्रस्तुत संकल्प पर विचार जारी :-

''इस सदन का निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश सरकार की नगरीय विस्तारीकरण की महत्वाकांक्षी योजना में बाधक बने भू-माफियाओं पर अंकुश लगाते हुये कठोर कार्यवाही की जाये।''

22-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 की बैठक में प्रस्तुत संकल्प पर विचार प्रारम्भ :-

''इस सदन का निश्चित मत है कि विधान मण्डल सदस्यों को क्षेत्र विकास हेतु मिलने वाली विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि को जी0एस0टी0 से बाहर रखते हुये भारत सरकार से अनुरोध किया जाये।''

23-श्री विजय बहादुर पाठक, सदस्य, विधान परिषद् द्वारा दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 की बैठक में प्रस्तुत संकल्प पर विचार प्रारम्भ :-

''इस सदन का निश्चित मत है कि पृथ्वी पर प्राकृतिक शोभा एवं मानव स्वास्थ्य के लिये पर्यावरण की सुरक्षा, विकास का अनिवार्य भाग है।''

लखनऊ :
गुरुवार, 23 माघ, शक संवत् 1947
(12 फरवरी, 2026)

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

12 फरवरी, 2026 — विधान परिषद् के प्रथम सत्र (2026) का प्रथम गुरुवार

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
*1	29-1-2026
*2	29-1-2026
*3	29-1-2026
*4	31-1-2026
*5	31-1-2026
*6	31-1-2026
*7	31-1-2026
*8	31-1-2026
*9	31-1-2026

अतारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या	सरकार को भेजने/ प्राप्त होने की तिथि
1	29-1-2026
2	29-1-2026
3	29-1-2026
4	30-1-2026
5	30-1-2026
6	30-1-2026
7	31-1-2026
8	31-1-2026
9	31-1-2026
10	31-1-2026
11	31-1-2026
12	31-1-2026

नत्थी ‘क’

गुरुवार, दिनांक 12 फरवरी, सन् 2026 ई0

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के मेडिकल कालेजों में कैन्सर जैसी जटिल बीमारी से जूझ रहे व्यक्तियों को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव
1

*1-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा शिक्षा) बतायेंगे कि कैन्सर जैसी जटिल बीमारी की जाँच प्रदेश के किन-किन चिकित्सालयों में उपलब्ध है ?

उप मुख्य मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों और कब तक कैन्सर जैसी गम्भीर बीमारी की जाँच प्रदेश के चिकित्सालयों में कम से कम समय में उपलब्ध करा दिया जायेगा ?

(घ) प्रदेश के मेडिकल कालेजों में कैंसर की बीमारी से जूझ रहे व्यक्तियों को सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं ?

महिला कल्याण विभाग में संचालित कन्या सुमंगला योजना में वर्ष 2020 से अब तक हुए गबन के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा 2 — महिला कल्याण मंत्री

*2-(क) क्या महिला कल्याण मंत्री बतायेंगे कि महिला कल्याण विभाग में संचालित कन्या सुमंगला योजना में वर्ष 2020 से अब तक तात्कालिक निदेशक एवं योजना अधिकारी की मिली-भगत से 100 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का गबन हुआ है ?

(ख) यदि हाँ, तो C&AG द्वारा 19 जिलों (अयोध्या, प्रयागराज, लखनऊ आदि) में जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालयों में की गई विशेष ऑडिट रिपोर्ट्स में पुष्टि हुई अनियमितताओं का विवरण क्या है, जिसमें PFMS पर एक ही खाते में 10-10 लाख रुपये ट्रांसफर एवं पृथक-पृथक रजिस्ट्रेशन नम्बरों का दुरुपयोग शामिल है ?

(ग) अयोध्या जनपद में कर्मचारियों के खातों में 10-10 लाख रुपये ट्रांसफर पर अब तक की गई कार्यवाही का विवरण क्या है ?

(घ) निलम्बित अधिकारियों को निदेशालय से सम्बद्ध कर योजना के नाम पर धनराशि के दुरुपयोग पर दोषियों के विरुद्ध अब तक की गई कार्यवाही का विवरण क्या है ?

प्रदेश की राजधानी लखनऊ में निराश्रित महिलाओं एवं अबोध बच्चों के प्रति कल्याणकारी योजना के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 3 — महिला कल्याण मंत्री

*3-(क) क्या महिला कल्याण मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ट्रैफिक नियन्त्रण सिग्नल रेड होने पर चौराहे पर एकाएक दुधमुहें बच्चे को लेकर महिलाएं एवं कम उम्र के बच्चों के द्वारा भीख माँगी जा रही है ?

(ख) यदि हाँ, तो इनकी संख्या कुल कितनी है ?

(ग) क्या ऐसे निरीह एवं गरीब मैले-कुचैले बच्चों एवं महिलाओं को भीख न माँगना पड़े, सरकार द्वारा कोई नीति स्थापित की गई है ?

(घ) यदि हाँ, तो क्या ?

(ङ) यदि नहीं, तो क्या इस तरह के निराश्रित महिलाओं एवं अबोध बच्चों के प्रति कल्याणकारी योजना बनाने पर विचार करेंगे ?

जनपद-सहारनपुर में बने एयरपोर्ट पर फ्लाइट के आवागमन के सम्बन्ध में

श्री शाहनवाज खान 4 — मुख्य मंत्री

*4-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद-सहारनपुर में बने एयरपोर्ट का उद्घाटन दिनांक 20-10-2024 को हुआ था, जिस पर दिनांक 05-11-2024 से उड़ान शुरू होनी थी, मगर आज तक सहारनपुर व आस-पास के लोगों को कोई राहत नहीं मिली, जबकि सहारनपुर एयरपोर्ट के चलने से बहुत राहत मिलेगी ?

(ख) क्या उक्त एयरपोर्ट पर फ्लाइट का आवागमन कब तक शुरू करायेंगे ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

राजकीय मेडिकल कालेज कन्नौज में स्थित कैंसर हॉस्पिटल व हृदय रोग हॉस्पिटल के संचालन के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा 5 — उप मुख्य मंत्री

*5-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा शिक्षा) बतायेंगे कि राजकीय मेडिकल कालेज कन्नौज में स्थित कैंसर हॉस्पिटल व हृदय रोग हॉस्पिटल में अलग-अलग अस्पतालों का पूर्ण संचालन करने हेतु कितने पदों का सृजन पदवार संख्या सहित किया जाना प्रस्तावित है ?

(ख) उक्त पदवार सृजित पदों की स्वीकृति एवं तदोपरान्त पदों पर चयन की प्रक्रिया कब तक पूर्ण करायेंगे ?

(ग) उक्त कैंसर हॉस्पिटल के संचालन हेतु टाटा कैंसर अस्पताल मुम्बई से सम्बद्ध करने की कोई योजना विचाराधीन है ?

(घ) यदि हाँ, तो क्या उक्त हृदय रोग हॉस्पिटल के संचालन हेतु हृदय रोग संस्थान कानपुर से सम्बद्ध करने की कोई योजना विचाराधीन है ?

(ङ) उपरोक्त मेडिकल कालेज में कैंसर की ओपीडी एवं डे-केयर कीमो में दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 तक कितने लोगों को इलाज प्रदान किया गया है, उसकी संख्या क्या है ?

माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कालेज सिद्धार्थनगर में तैनात चिकित्सक शिक्षकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी 6 — उप मुख्य मंत्री

*6-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा शिक्षा) बतायेंगे कि माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कालेज सिद्धार्थनगर में 05 वर्षों से संचालित होने वाले मेडिकल कालेज में चिकित्सा

शिक्षकों के असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं प्रोफेसर के कितने पद सृजित हैं तथा सृजित पदों के प्रति क्रम अनुसार कितने पद रिक्त हैं ?

(ख) क्या सृजित पदों के प्रति तैनात चिकित्सक शिक्षकों की नियुक्ति विद्यमान प्राविधानों के अनुसार की गयी है ?

(ग) यदि हाँ, तो क्या इनकी योग्यता का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?

वाराणसी, आजमगढ़ और विंध्याचल मण्डल के सरकारी अस्पतालों में MRI, CT Scan और Dialysis जैसी सुविधाओं के सम्बन्ध में

श्री आशुतोष सिन्हा
7

*7-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि वाराणसी, आजमगढ़ और विंध्याचल मण्डल के कितने सरकारी अस्पतालों में MRI, CT Scan और Dialysis जैसी सुविधाएँ उपलब्ध हैं और इनमें से कितनी मशीनें वास्तव में काम कर रही हैं ?

उप मुख्य मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो विगत छह माह में जिलावार अस्पतालों में मरीजों की संख्या क्या है, जिन्होंने उक्त सुविधा का लाभ प्राप्त किया है ?

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

जनपद सिद्धार्थनगर में लाइसेन्स प्राप्त नर्सिंग होम के सम्बन्ध में

श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी
8

*8-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि जनपद-सिद्धार्थनगर में लाइसेन्स प्राप्त ऐसे कितने नर्सिंग होम हैं, जो विधिक रूप से संचालित हैं ?

उप मुख्य मंत्री

(ख) क्या मानक के विपरीत संचालित नर्सिंग होम मरीजों के शोषण का केन्द्र बन चुके हैं ?

(ग) यदि हाँ, तो पूरे समय चिकित्सकों की देख-रेख में गर्भावस्था पूरा करने के बाद प्रसव के समय ऑपरेशन से ही प्रसव कराने के क्या कारण हैं ?

(घ) क्या इसकी जाँच कराकर जाँच आख्या सदन की मेज पर रखेंगे ?

राज्य सरकार की योजनाओं के अधीन संचालित बालगृहों में बजट के भुगतान के सम्बन्ध में

डा0 मान सिंह यादव
9

*9-(क) क्या महिला कल्याण मंत्री बतायेंगे कि महिला एवं बाल विकास द्वारा संचालित राज्य सरकार की योजनाओं के अधीन बालगृह संचालित किया जाता है ?

महिला कल्याण मंत्री

(ख) यदि हाँ, तो जनपद-गाजीपुर में कितने बालगृह संचालित हैं ?

(ग) क्या उक्त जनपद में संचालित बालगृह संस्थाओं का बजट वर्ष 2019 से अब तक नहीं किया गया है ?

(घ) यदि हाँ, तो क्यों ?

(ङ) क्या उक्त संचालित संस्थाओं का भुगतान करायेंगे ?

अतारांकित प्रश्न

डा0 मान सिंह यादव 1	1-(क) क्या महिला कल्याण मंत्री बतायेंगे कि ग्राम-अमौली, तहसील-बिन्दकी, जनपद-फतेहपुर में रजिस्ट्रेशन संख्या-314310890232 व 314310890882 एवं अन्य कितने लोगों की विधवा पेंशन वर्ष 2025 की किस्तें रोक दी गई हैं ? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त लाभार्थियों के खातों में रोकी गयी पेंशन भेज दी गयी है ? (ग) यदि हाँ, तो कब ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ? (ङ) क्या उक्त का विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?	महिला कल्याण मंत्री
डा0 मान सिंह यादव 2	2-(क) क्या महिला कल्याण मंत्री बतायेंगे कि जनपद-बाराबंकी में रजिस्ट्रेशन संख्या-314811253482 व जनपद-उन्नाव में रजिस्ट्रेशन संख्या-313111038382 द्वारा विधवा पेंशन दिये जाने हेतु आवेदन किये गये हैं ? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त लाभार्थियों के खातों में पेंशन भेज दी गयी है ? (ग) यदि हाँ, तो कब ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	महिला कल्याण मंत्री
श्री पवन कुमार सिंह 3	3-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर में नगर पालिका बिसवां स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में बाउण्ड्रीवाल का अभाव एवं मुख्य प्रवेश द्वार न होने के कारण अस्पताल परिसर की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है, जिससे मरीजों, चिकित्सकों एवं कर्मचारियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ?	उप मुख्य मंत्री

	(ख) यदि हाँ, तो उक्त समस्या के निराकरण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में बाउण्ड्रीवाल एवं मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	
डा0 मान सिंह यादव 4	4-(क) क्या आयुष मंत्री बतायेंगे कि कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-36/1/78-का-2/2013, दिनांक 01 फरवरी, 2013 तथा शासनादेश संख्या-36/1/78/का-2, दिनांक 29 जनवरी, 2014 के द्वारा वर्ष 2012-13 से वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि को संशोधित किए जाने और प्रविष्टियों को अपग्रेड किए जाने का प्राविधान है ? (ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा संवर्ग के कितने अधिकारियों को किन-किन वर्षों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों से स्वीकर्ता प्राधिकारी के स्तर से निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार संसूचित किया गया ? (ग) यदि नहीं, तो कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-36/1-1976 कार्मिक-2, दिनांक 15 मार्च, 1977 तथा शासनादेश संख्या-36/1-1976 कार्मिक-2, दिनांक 22 अगस्त, 1977 के प्रस्तर-5 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत अब तक क्या कार्यवाही की गई ?	आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
डा0 मान सिंह यादव 5	5-(क) क्या आयुष मंत्री बतायेंगे कि पदोन्नति विषयक कार्मिक अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 02 जुलाई, 2025 तथा 29 अक्टूबर, 2025 के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा संवर्ग का चयन वित्तीय वर्ष 2025-2026 तक आगणित रिक्तियों की संख्याएं, पदोन्नति हेतु संस्तुत कार्मिकों की संख्या, पदोन्नति प्रदान किये जा चुके कार्मिकों की संख्या तथा पदोन्नत कार्मिकों की सम्बन्धित पदों पर ससमय तैनात किए गए कार्मिकों की पदनामवार व अलग-अलग संख्या क्या है ? (ख) दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 को वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी/जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी/उप निदेशक के पद पर पदोन्नत अधिकारियों की तैनाती के सम्बन्ध में सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की तथा कब तक करने पर विचार करेगी ? (ग) यदि नहीं, तो क्यों ?	आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

डा0 मान सिंह यादव 6	6-(क) क्या आयुष मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2016 में स्वीकृत/उल्लिखित अपर निदेशक, अपर निदेशक (शिक्षा), संयुक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक (शिक्षा), मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी पदों पर तैनात अधिकारियों के वेतन आदि पर होने वाले व्यय के भुगतान सम्बन्धी लेखा शीर्षक पदनामवार अलग-अलग क्या हैं ? (ख) क्या उक्त पदों के सृजन सम्बन्धी शासनादेशों की छाया प्रतियां सदन की मेज पर रखेंगे ? (ग) उक्त सृजित स्वीकृत पदों पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-34 के सुसंगत इकाइयों के नामे डाले जाने की सहमति सम्बन्धी वित्त विभाग के अशासकीय पत्रों की संख्या व दिनांक पदनामवार अलग-अलग क्या हैं ? (घ) प्रान्तीय होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा संवर्ग का पुनर्गठन विषयक शासनादेश संख्या-2/1128/71-आयुष-2-2014/952/97, दिनांक 05-09-2014 निर्गत होने के उपरान्त अवशेष 29 चिकित्साधिकारी के पदों पर उच्चीकरण के फलस्वरूप 29 राजकीय/जिला चिकित्सालयों के चिन्हांकन किये जाने हेतु दिनांक 05-09-2014 के उपरान्त से तिथिवार की गयी कार्यवाही का विवरण क्या है तथा 29 पदों का चिन्हांकन कब तक होने की सम्भावना है ? (ङ) उक्त राजकीय होम्योपैथिक जिला चिकित्सालयों के नाम क्या हैं, जहां पर वर्तमान में वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी तथा होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी के कितने पद सृजित/स्वीकृत हैं अथवा पद विहीन हैं ?	आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
डा0 मान सिंह यादव 7	7-(क) क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बतायेंगे कि मार्च, 2020 में किन-किन खाद्य सामग्री वितरण कम्पनियों को मानक के अनुरूप कार्य न करने एवं करों की हेरा-फेरी करने के कारण काली सूची में डाल दिया गया है ? (ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त कम्पनियों को पुनः विभागीय मिली-भगत के कारण काली सूची से हटाने का प्रयास किया जा रहा है ? (ग) यदि हाँ, तो क्यों और इसके लिए कौन-कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं ?	बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री

	(घ) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?	
	(ङ) यदि नहीं, तो क्यों ?	
डा0 मान सिंह यादव 8	8-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि जनपद बाँदा की कौन-कौन सी तहसीलों सामुदायिक केन्द्रों/अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में गर्भवती महिलाओं की अल्ट्रासाउण्ड व एक्स-रे आदि जाँच की सुविधा उपलब्ध है ?	उप मुख्य मंत्री
	(ख) उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में वित्तीय वर्ष 2024-25 में कौन-कौन सी स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोत्तरी की गयी है ?	
	(ग) क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?	
	(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	
डा0 मान सिंह यादव 9	9-(क) क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बतायेंगे कि मुख्य सेविकाओं की चिकित्सा प्रतिपूर्ति कराये जाने हेतु निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश ने अपने पत्र संख्या-623, दिनांक 17 दिसम्बर, 2025, जो कि अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग को सम्बोधित था, प्रेषित किया है ?	बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री
	(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त पत्र में इंगित सभी कार्मिकों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति करा दी गयी है ?	
	(ग) यदि नहीं, तो उक्त चिकित्सा प्रतिपूर्ति कब तक करा दी जायेगी ?	
	(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	
श्री पवन कुमार सिंह 10	10-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड-कसमण्डा के अन्तर्गत ग्राम सभा-दुलारपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी0एच0सी0) न होने से ग्राम पंचायत के ग्रामीणों को प्राथमिक एवं आकस्मिक चिकित्सा सेवाओं हेतु दूर-दराज के स्वास्थ्य केन्द्रों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे उन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है ?	उप मुख्य मंत्री
	(ख) यदि हाँ, तो उपर्युक्त समस्या के समाधान हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य करायेंगे ?	
	(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?	
	(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	

श्री पवन कुमार सिंह 11	11-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड-पहला के अन्तर्गत ग्राम सभा-कोरार में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी0एच0सी0) न होने से ग्राम पंचायत के ग्रामीणों को प्राथमिक एवं आकस्मिक चिकित्सा सेवाओं हेतु दूर-दराज के स्वास्थ्य केन्द्रों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे उन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हाँ, तो क्या उपर्युक्त समस्या के समाधान हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	उप मुख्य मंत्री
श्री पवन कुमार सिंह 12	12-(क) क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) बतायेंगे कि जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड-पहला के अन्तर्गत ग्राम सभा लोधौरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी0एच0सी0) न होने से ग्राम पंचायत के ग्रामीणों को प्राथमिक एवं आकस्मिक चिकित्सा सेवाओं हेतु दूर-दराज के स्वास्थ्य केन्द्रों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे उन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है ? (ख) यदि हाँ, तो उपर्युक्त समस्या के समाधान हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कार्य करायेंगे ? (ग) यदि हाँ, तो कब तक ? (घ) यदि नहीं, तो क्यों ?	उप मुख्य मंत्री

नत्थी 'ख'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-बाराबंकी के अन्तर्गत विकास खण्ड-हैदरगढ़ क्षेत्र में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण जनपद-बाराबंकी के अन्तर्गत विकास खण्ड-हैदरगढ़, क्षेत्र में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान न होने के कारण क्षेत्र के युवाओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, हम सब पिछले कई वर्षों से प्रयासरत् हैं, किन्तु सफलता नहीं मिल रही है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि जनपद-बाराबंकी के अन्तर्गत विकास खण्ड-हैदरगढ़ क्षेत्र में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ग'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-बाराबंकी के अन्तर्गत विकास खण्ड-हैदरगढ़ ग्राम पंचायत कोलवा में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सभी प्रार्थीगण जनपद-बाराबंकी के अन्तर्गत विकास खण्ड-हैदरगढ़, ग्राम पंचायत कोलवा में मिनी स्टेडियम न होने के कारण क्षेत्र के युवाओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, हम सब पिछले कई वर्षों से प्रयासरत् हैं, किन्तु सफलता नहीं मिल रही है। जबकि ग्राम सभा में पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध है और जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि जनपद-बाराबंकी के अन्तर्गत विकास खण्ड-हैदरगढ़, ग्राम पंचायत कोलवा में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,
05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'घ'

याचिका की प्रतिलिपि
(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,
विधान परिषद्,
उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-जालौन के अन्तर्गत विकास खण्ड-जालौन के ग्राम पंचायत-महेशपुरा में शमशान घाट का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सभी प्रार्थीगण जनपद-जालौन के अन्तर्गत विकास खण्ड-जालौन के ग्राम पंचायत-महेशपुरा में शमशान न होने के कारण बरसात के दिनों में काफी समस्या होती है। हम सब पिछले कई वर्षों से प्रयासरत् हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुयी, जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि जनपद-जालौन के अन्तर्गत विकास खण्ड-जालौन के ग्राम पंचायत-महेशपुरा में शमशान घाट का निर्माण कराये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'ङ'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषय :-जनपद-जालौन के अन्तर्गत विकास खण्ड-जालौन के ग्राम पंचायत-सिकरी राजा में सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण जनपद-जालौन के अन्तर्गत विकास खण्ड-जालौन के ग्राम पंचायत-सिकरी राजा में सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य करवाये जाने एवं ग्रामीणों को आने-जाने में काफी समस्या होती है। हम सब पिछले कई वर्षों से प्रयासरत् हैं, किन्तु सफलता नहीं मिल सकी है। जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि जनपद-जालौन के अन्तर्गत विकास खण्ड-जालौन के ग्राम पंचायत-सिकरी राजा में छोटी कांशीराम कॉलोनी के पीछे जमुना देवी डिग्री कॉलेज उरई के बगल से बम्बा के किनारे की ओर से लगभग 700 मीटर सी0सी0 सड़क का निर्माण कार्य करवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी 'च'

याचिका की प्रतिलिपि

(नियम-213 के अन्तर्गत दी गई याचिका)

सेवा में,

माननीय सदन,

विधान परिषद्,

उत्तर प्रदेश।

विषयः-जनपद-बाराबंकी के अन्तर्गत नगर पंचायत सुबेहा चाकौरा मार्ग से मातृश्री प्राथमिक विद्यालय तक लगभग 350 मीटर सी0सी0 रोड व नाला का निर्माण कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आपसे निवेदन करना है कि हम सब प्रार्थीगण जनपद-बाराबंकी के अन्तर्गत नगर पंचायत सुबेहा चाकौरा मार्ग से मातृश्री प्राथमिक विद्यालय तक लगभग 350 मीटर सी0सी0 रोड व नाला निर्माण कार्य करवाये जाने एवं जिला स्तर पर कई बार से प्रयास किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुयी, जबकि जिला स्तर पर धन भी उपलब्ध है।

अतः माननीय सदन से आग्रह है कि जनपद-बाराबंकी के अन्तर्गत नगर पंचायत सुबेहा चाकौरा मार्ग से मातृश्री प्राथमिक विद्यालय तक लगभग 350 मीटर सी0सी0 रोड व नाला का निर्माण कार्य करवाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थीगण,

05 व्यक्तियों के हस्ताक्षर।

नत्थी ‘छ’

मा0 राज्यपाल के अभिभाषण के लिये धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधनों की सूची

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव
1	सर्वश्री लाल बिहारी यादव, राजेन्द्र चौधरी, बलराम यादव, आशुतोष सिन्हा, किरण पाल कश्यप, (डॉ0) मान सिंह यादव, मो0 जासमीर अंसारी, शाहनवाज खान, मुकुल यादव व श्री शाह आलम।	महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :- ‘‘किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :- 1-बिगड़ी कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त किये जाने तथा प्रदेश में हो रही हत्या, अपहरण, साइबर क्राइम डकैती, लूट व बलात्कार में लगातार हो रही वृद्धि को रोके जाने के सम्बन्ध में, 2-शिक्षा के गिरते हुए स्तर सुधारने के सम्बन्ध में, 3-संविधान में नौकरियों में एस0सी0, एस0टी0 और ओ0बी0सी0 को दिये गये आरक्षण का अनुपालन न करने के सम्बन्ध में, 4-माध्यमिक वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सम्मानजनक मानदेय की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में, 5-शिक्षण संस्थाओं पर बिजली की दर व्यवसायिक रेट से ज्यादा लगाये जाने के सम्बन्ध में, 6-महिलाओं के यौन शोषण, उत्पीड़न व अत्याचार रोकने के सम्बन्ध में, 7-प्रदेश में रुके विकास कार्य को प्रारम्भ करने के उपाय के सम्बन्ध में, 8-प्रदेश की 17 जातियों को अनुसूचित जाति के अनुरूप सुविधायें दिये जाने के सम्बन्ध में, 9-माध्यमिक वित्त विहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा नियमावली की समीक्षा किये जाने के सम्बन्ध में, 10-शिक्षकों की पुरानी पेंशन बहाल किये जाने के सम्बन्ध में, 11-चयन बोर्ड आयोग की धारा 21, 18 व 12 को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव

12-मदरसों में आधुनिक शिक्षकों का बकाया मानदेय का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में,

13-मदरसा विद्यालयों की जाँच विभिन्न विभागों से कराने के नाम पर विद्यालयों का उत्पीड़न बन्द किये जाने के सम्बन्ध में,

14-आश्रम पद्धति विद्यालयों के संविदा शिक्षकों का विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में,

15-विषय विशेषज्ञों पर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में,

16-राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ किये जाने के सम्बन्ध में,

17-प्रोन्नति वेतनमान व एरियर का भुगतान की पत्रावलियों का निस्तारण किये जाने के सम्बन्ध में,

18-शिक्षामित्रों का मानदेय महंगाई के अनुसार किये जाने के सम्बन्ध में,

19-बोर्ड परीक्षा केन्द्र की नीति में सभी बच्चियों को बाह्य केन्द्र की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,

20-शीतकालीन अवकाश में ग्रीष्मकालीन विशेष अवकाश में बच्चों के साथ अध्यापकों को भी अवकाश दिये जाने के सम्बन्ध में,

21-शिक्षण सत्र पूर्व की भाँति जुलाई से जून की पुरानी व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में,

22-प्रधानाचार्यों की नियुक्तियाँ तथा उसमें आरक्षण की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में,

23-बोर्ड परीक्षा केन्द्र बनाते समय संस्थाओं को एक समान अंक दिया जाय। राजकीय, एडेड, वित्त विहीन का भेदभाव समाप्त किया जाय, जैसे-राजकीय को 50 अंक, एडेड को 40 अंक और वित्त विहीन विद्यालय को 20 अंक निर्धारित हैं,

24-बोर्ड परीक्षा केन्द्र बनाते समय विद्यालयों का संसाधन एवं मुख्य सड़कों को आधार बनाये जाने के सम्बन्ध में,

25-बोर्ड परीक्षा के संचालन के लिए केन्द्र व्यय दिये जाने के सम्बन्ध में,

26-माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1921 में दिये गये प्राविधानों के मानक के अनुसार एडमीशन व क्लास परमीशन, अध्यापकों की उपलब्धता के अनुसार एडमीशन लिये जाने के सम्बन्ध में,

27-एडेड जूनियर हाई स्कूलों में नियुक्तियां किये जाने के सम्बन्ध में,

28-प्राथमिक विद्यालयों में N.C.E.R.T. पुस्तकें लागू किये जाने तथा पुस्तकों की उपलब्धता के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव

29-शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) के शिक्षकों के सेवानिवृत्त की आयु 60 से 62 वर्ष किये जाने के सम्बन्ध में,

30-बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-12(ग) का अनुपालन प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालयों में सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में,

31-पूर्ववर्ती सरकार की भॉति जिनके पास रहने को मकान नहीं है उन्हें गरीब आवास योजना के तहत पक्के मकान (एक लाख बीस हजार से बढ़ाकर तीन लाख पचास हजार) मुफ्त में दिये जाने के सम्बन्ध में,

32-सरकार द्वारा नये धान गेहूँ खरीद केन्द्र नहीं खोले जाने एवं खरीद केन्द्रों पर हो रही धांधली के सम्बन्ध में,

33-पूर्ववर्ती सरकार द्वारा गरीब का 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन पुनः दिये जाने के सम्बन्ध में,

34-ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों की सिंचाई हेतु 24 घण्टे की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के सम्बन्ध में,

35-छात्र-छात्राओं को लैपटाप योजना को पुनः चालू किये जाने के सम्बन्ध में,

36-ओला वृष्टि व वर्फ बारी से नष्ट हुयी फसलों की क्षतिपूर्ति के बारे में,

37-प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाये जाने के सम्बन्ध में,

38-प्रदेश के बुनकरों के पावरलूम उद्योग को सुधारने हेतु नियमित विद्युत आपूर्ति, और बुनकरों को किसानों की भॉति फ्लैट रेट पर विद्युत दिये जाने के सम्बन्ध में,

39-प्रदेश के जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा को रोके जाने के सम्बन्ध में,

40-प्रदेश की जर्जर सड़कों पर गढ्ढा मुक्ति के नाम पर सरकारी धन की लूट के सम्बन्ध में,

41-प्रदेश के गन्ना किसानों के बकाये भुगतान के सम्बन्ध में,

42-गन्ना किसानों का भुगतान न होने पर गन्ना किसानों द्वारा आत्महत्या रोके जाने के सम्बन्ध में,

43-प्रदेश के बेरोजगार उर्दू मोअल्लिम डिग्री धारकों को रोजगार देने के सम्बन्ध में,

44-प्रदेश के अधिकारियों द्वारा सामान्य शिष्टाचार एवं परम्पराओं का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में,

45-पूरे प्रदेश में बिजली के बिलों में फर्जी बढ़ोत्तरी दिखाकर शोषण बन्द किये जाने के सम्बन्ध में,

46-ग्रामीण क्षेत्रों तथा नगरीय क्षेत्रों में विधायकों की संस्तुति पर हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में,

क्रम संख्या	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का प्रस्ताव

47-सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को मुफ्त दवाइयां व चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के आदेश के बाद भी मुफ्त दवाइयां व चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न कराये जाने तथा नकली दवाइयों की रोकथाम के सम्बन्ध में,

48-भारतीय जनता पार्टी के विधायकों, कार्यकर्ताओं द्वारा खुलेआम अराजकता फैलाने एवं धर्म के आधार पर आतंक का माहौल पैदा करने एवं धन की वसूली पर प्रभावी नियंत्रण किये जाने के सम्बन्ध में,

49-प्रदेश के अधिवक्ताओं को भत्ता दिये जाने तथा अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु बार कौंसिल उ0प्र0 को सरकार द्वारा बजट में कमी किये जाने के सम्बन्ध में,

50-पिछड़े वर्गों को संविधान प्रदत्त आरक्षण पूरा किये जाने के सम्बन्ध में,

51-अल्प संख्यक वर्ग व पिछड़े वर्ग के छात्रों की रुकी हुयी छात्रवृति को प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में,

52-राज्य कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण की सुविधा बहाल किए जाने के सम्बन्ध में तथा दैनिक वेतन कर्मियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में,

53-राज्य कर्मचारियों को कोविड-19 के कारण बन्द किये गये भत्ते आदि को पुनः चालू किये जाने के सम्बन्ध में,

54-समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर राजनैतिक द्वेष भावना से लगाये जा रहे फर्जी मुकदमे पर रोकथाम लगाये जाने के सम्बन्ध में,

55-प्रदेश के गरीब लड़कियों की शादी के अनुदान के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है,

56-पिछड़े वर्ग हेतु क्रीमी लेयर की आय सीमा पिछली सरकार में किये गये दस लाख रुपये तक किये जाने के सम्बन्ध में,

57-एक हजार मदरसों एवं एक हजार संस्कृत विद्यालयों को अनुदान में लिये जाने के सम्बन्ध में,

58-बी0पी0एल0 कार्ड धारकों को आवश्यकतानुसार मुफ्त में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

59-छात्र यूनियनों को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में,

60-प्रदेश सरकार की तुष्टिकरण नीति से सामाजिक टकराव एवं दुराव के सम्बन्ध में,

61-किन्नर समाज कल्याण के बारे में,

62-बाल मजदूरी व बंधुआ मजदूरी को दूर किये जाने के सम्बन्ध में,

63-सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने हेतु कानून बनाये जाने के सम्बन्ध में।''

निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा मुद्रित।